**निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)**

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 19/2014 | 2.12.2014 | 27.4.2015 |

बत्तीलाल पुत्र जयराम, माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी---अपीलार्थी

**बनाम**

1. सरपंच ग्राम पंचायत नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
2. छोटी पत्नि पून्या, माली निवासी अमरगढ तहसील सपोटरा ---रेस्पोन्डेन्ट

**अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण संख्या 1332**
**दिनांक 11.7.2014 सरपंच ग्राम पंचायत नौगांव**

उपस्थितः- श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री प्रकाश चन्द शर्मा, एडवोकेट, रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 की ओर से

**निर्णय**

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि भूमि ख0नं0 1385 रकबा 1 एयर, 1396 रकबा 5 एयर, 1397 रकबा 32 एयर, 1428 रकबा 34 एयर, 1432 रकबा 45 एयर कुल रकबा 1.17 हैक्टर ग्राम नौगांव की खातेदारी अपीलार्थी के पिता जसराम व अपीलार्थी के चाचा तूफान पुत्र कल्ला के नाम थी। तूफान पुत्र कल्ला अविवाहित फौत हो गया। अपीलार्थी के पिता जसराम की मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित भूमि का नामान्तरकरण विरासत के आधार पर पटवारी हलका द्वारा भरा गया व सरपंच ग्राम पंचायत नौगांव द्वारा दिनांक 11.7.2014 को तस्दीक कर दिया गया। पटवारी हलका ने जो सजरा वारिसान का दर्शाया वह गलत है क्योंकि तूफान तो अविवाहित ही फौत हो गया था। पटवारी हलका ने जो सजरा बनाया है उसमें छोटी को जसराम की पत्नि के रूप में दर्शाया है परन्तु छोटी लगभग 20-22 वर्ष पूर्व ही अपने पति व बच्चे को छोडकर चली गई तथा ग्राम अमरगढ तहसील सपोटरा के पून्या माली से विवाह कर उसके पास रह रही है । ग्राम अमरगढ तहसील सपोटरा की पंचायत वोटर लिस्ट सन् 2009 में उसका नाम बतौर पत्नि पून्या क्रम संख्या 231 पर दर्ज है। चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र क्रमांक आर0जे0-11/081/318451 में भी उसके पति का नाम पून्या दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी हलका द्वारा छोटी को जसराम की पत्नि के रूप में गलत दर्ज किया गया है। जब नामान्तरकरण तस्दीक किया गया उस समय अपीलार्थी को भी नहीं सुना गया। नामान्तरकरण की जांच गिरदावर भी नहीं की गई है एवं बिना जांच के ही नामान्तरकरण भरा गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1332 दिनांक 11.7.2014 ग्राम नौगांव निरस्त किया जावे एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जावे कि वह पुनः जांच कर भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम दर्ज करे।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया एवं मूल नामान्तरकरण तलब किया गया । उप तहसील तलावडा से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है। रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए ।

अपील नामान्तरकरण के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 1332 दिनांक 11.7.2014,

[illegible] संख्या 5 ग्राम पंचायत अमरगढ,फोटोकोपी पहचान पत्र छोटी, सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ का प्रमाण पत्र दिनांक 29.8.14, शपथपत्र छोटी पत्नि पून्या पेश किए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि छोटी ग्राम अमरगढ में पून्या माली के यहां बतौर पत्नि रह रही है इसलिए उसका नाम नामान्तरकरण से हटाने में कोई आपत्ती नहीं है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल नामान्तरकरण संख्या 1332 दिनांक 11.7.2014 के अनुसार जसराम व तूफान पिता कल्ला का विरासत का नामान्तरकरण बत्तीलाल पुत्र जसराम व छोटी पत्नि जसराम के नाम खोला गया है । नकल पंचायत मतदाता सूची ग्राम पंचायत अमरगढ पंचायत समिति सपोटरा के वार्ड संख्या 5 में क्रम संख्या 230 पर पून्या/हटीला व 231 पर छोटी/पून्या दर्ज है। फोटोकोपी पहचान पत्र संख्या आर0जे0/11/081/318451 छोटी/पून्या पता म0नं0 96, मालीपाडा गांव अमरगढ त0 सपोटरा जिला सवाईमाधोपुर के नाम जारी है। सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ के प्रमाण पत्र दिनांक 29.8.14 के अनुसार श्रीमती छोटी पत्नि पून्या माली करीब 20–22 वर्षो से ग्राम अमरगढ तहसील सपोटरा में अपने पूर्व पति जसराम माली निवासी नौगांव को छोडकर पून्या पुत्र हटीला माली निवासी अमरगढ के साथ बतौर पत्नि रह रही है। छोटी पत्नि पून्या निवासी अमरगढ ने अपने शपथ पत्र में उसकी पूर्व में शादी जसराम पुत्र कल्ला माली निवासी नौगांव के साथ होना, उससे एक बच्चे को जन्म देना व पति के मंदबुद्ध होने के कारण उसे छोडकर पून्या पुत्र हटीला माली निवासी अमरगढ के यहां नाते आना अंकित किया है। इन समस्त दस्तावेजों के यह स्पष्ट है कि छोटी वर्तमान में जसराम की पत्नि के रूप में नहीं रह कर पून्या की पत्नि के रूप में रह रही है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण में छोटी का नाम गलत दर्ज किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1332 दिनांक 11.7.2014 ग्राम नौगांव निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण नायब तहसीलदार तलावडा को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि वह अपीलार्थी को सुनकर एवं तथ्यों की जानकारी कर नियमानुसार नामान्तरकरण भरने की कार्यवाही करे। मूल नामान्तरकरण एवं निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( मुनिदेव यादव )
उप जिला कलेक्टर
[illegible]